कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक क/वाचक–1/2017 /367 घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

प्रति

कलेक्टर
(भू–अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात–1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. ज्रेकेला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2– उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन **"आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि पहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है"** के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र– 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

25.2.18
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

–:: ईश्तहार::–

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोडा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईश्तहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक–पृथक) में ईश्तहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वें अपना आपत्ति दिनांक 08 **मई, 2017** तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **17.04.2017** को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

17.4.17

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संर्दभः– आपका आदेश कमांक 110805/भू–अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र कमांक क/वाचक–1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलंन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम जरेकेला, तहसील– तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपकम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपकम की एक

इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दुरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है, एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का आयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क. .....) ।

- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 12 का कुल रकबा 2.15 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 5 व्यक्ति प्रभावित होगें। 5 अन्य संवर्ग का है। तथा 3 समान्य, 2 सीमांत कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति की पुरी जमीन नहीं जा रही है।

- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।

- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निमार्ण में इस बात का ध्यान रखा

गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस – पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।

- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनिकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क. .....) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरुप है।

- समिति कें संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।

- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुध्द कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।

- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क. .....) ।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरुप निर्धारित प्रकिया का पालन किया गया है।

- प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपकम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल

लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपकम द्वारा निश्चिय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्यां केवल 5 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम जरेकेला की खसरा नं 309/1, 652/2, 655/9क, 655/11क, 655/9ख, 655/11ख, 407/1,2,3,4,5, 408/1, रकबा कमशः 0.58, 0.08, 0.010, 0.11, 0.35, 0.29, 0.14, 0.50 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी

सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनिकी विशषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक

ग्राम- सरकला

दिनांक 30/04/2016

विषय:- एच.टी.सी. रेलवे कारीडोर परियोजना समाजिक समाधान हेतु जन सुनवाई के संबंध में

दिनांक :-

रमेश 408/1
हरिचन्द 652/2
उदयराम 653/1
कमलाल 655/1
सभी ग्रा.पं. सरकला, तह. बेवार
उपरोक्त की निजी जमीन का रेल कारिडोर में एच.टी.सी. के माध्यम हुआने का निर्णय हो चुका है जो अब एक्ट में नोटिफाई किया जा रहा है।

विषय: तालाब/पानी बोमला बढ़ाने के सम्बन्ध में रेल कारिडोर चलाने के सम्बन्ध में

निर्णय: निजी भूमि में रेल कारिडोर हुआने की एवज में जमीन का रेल लाइन की दूरी दी जो प्रति एकड़ में 8 लाख एकड़ के मूल्यांकन हुआने का सुझाव दे रहा है जो हुआने का 35% मुआवजा दिया गया।

ग्राम पंचायत जैतेवा में एच.टी.सी. के माध्यम से जो जमीन आ रही है उसके एवज निर्माण रेल निर्माण गत में एच.टी.सी. के माध्यम से किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित मांग उठाया गया-
सरपंच/सचिव/पंच/गणमान्य नागरिक द्वारा-
(1) तालाब सौन्दर्यकरण/चूना तालाब
(2) प्रा.शा./मा.शा. के भवन निर्माण
(3) C.C. रोड निर्माण प्रस्तावित

उपस्थित ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा
अपना-अपना बयान लिखाया गया जो
सामान्य सुनी गई उपस्थित कार्यवाही का सामान्य
नोट के बाद रेत माफिया के जो रेत
खनन व ढुलाई किया जाता है रेत माफिया
के जो मशीन उपयोग में लाते हैं
उक्त मशीन व ढुलाई किया जाता उक्त
ग्राम पंचायत में बंद किया जाता है।

सरपंच
पंचायत

पटवारी
पं. लोग समिति
प.ह.नं. ...
जिला धौलपुर (राज.)

सामाजिक समाधान जनसुनवाई

जरेकेला दिनांक - 30/04/20

1	विद्याधर साहिस	विद्याधर
2	कार्तिक बेहरा	कार्तिक बेहरा
3	नारायण साहिस	नारायण साहि
4	भिखारी लाल साहिस	भिखारीलाल
5	दीनदयाल साहिस	दीनदयाल
6	दयानिधि साहिस	दयानिधि
7	श्रीमती गामती (मोटवार)	गामती
8	Sanjay Kar Behra	
9	अमर राय साहिस	अमरराय
10	हलाल लाल सिंघार	हलालाल सिंघ
11	Chandradhar Nayak	
12	Gyanendra Pradhan	
13	महेन्द्र कुमार	
14	विनोद कुमार बेहरा	
15	कपिल प्रसाद	कपिल प्रसाद

ग्राम - [redacted] उपस्थिति पंजी
गरेकला

16	हनु राम	हनु
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	सुदर्शन सिंह	सुदर्शन
20	रामकुमार	रामकुमार
21	सरस्वती बाई	[illegible]
22	धरमिकुमार	धरमिकुमार
23	रोहित	रोहित
24	भास्कर	[illegible]
25	टेकु	[illegible]
26	राधाबाई	राधा बाई
27	बिहारी लाल	बिहारीलाल
28	रामाधार	रामाधार
29	सिता राम	सिता राम
30	हरि	हरि

सामाजिक समाधान अभियान
ग्राम- जरेकेला उपस्थिति पंजी

31	रामलाल	रामलाल
32	जीतराम	[illegible]
33	करमसाय	करम
34	मगल राम	मगलराम
35	सिया राम	सिया
36	करमसिंह	करमसिंह
37	मोहन सिंह	
38	रामा धार	रामधार
39	श्याम कुमार	[illegible]
40	हरि राम	हरि
41	सिदर सिंह	[illegible]
42	अभय राम	अभयराम
43	श्याम कुमार	श्यामकुमार
44	बाबु लाल	बाबुलाल
45	राधा कृष्ण	राधाकृष्ण

125
104/16

46	नरहरि सिंग	
47	राम बाबु	Rambabu
48	कसमलाल	Kasamlal
49	राधा मोहन	राधा मोहन
50	भानु राम	Bhanu
51	रामलाल	रामलाल
52	विजय कुमार	Vijay
53	राम प्रताप सिंग	
54	गरुण सिंग राठिया	
55	अनिल राठिया	
56	रतिराम राठिया	
57	गुलाब राठिया	गुलाबराम
58	चन्द्रीका राठिया	चन्द्रीका
59	राम प्यारी	रामप्यारी
60		

61	जे.पी. दुबे	
62	मदनलाल पटेल	
63	एम.एल. कोर्टा	
64	आर.एल. प्रजापति (कार्य पर सहायक कलेक्टर)	
65	समाज	
66	दिनेश पटेल तहसीलदार रामनगर	
67	बी.एन. चौधरी नायब तहसीलदार रामनगर	
68	फूल सिंह राठिया सरपंच	
69		
70	श्रीमती लता साहू	PCM-4 30/4/2022
71		
72		

प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम जरेकेला प0ह0नं0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू–खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	गिरधारी पि. जगतराम जाति तेली	309/1	0.556	0.235	0.58	6.321	बहला	सिंचित	O	OBC
2	हरिचन्द्र पिता लाभोराम जाति अघरिया	652/2	0.061	0.032	0.08	0.566	टिकरा	असिंचित	s	OBC
3	उदेराम पिता तिलकराम जाति अघरिया	655/9 क	0.040	0.040	0.10	3.095	खार	असिंचित	AM	OBC
		655/11 क	0.045	0.045	0.11					
4	फरसलाल पिता माखनलाल जाति अघरिया	655/9 ख	0.142	0.142	0.35	0.375	खार	असिंचित	s	OBC
		655/11 ख	0.116	0.116	0.29					
5	रमेशकुमार पि. माखनलाल जाति सोढ़ी	407/1	0.365	0.057	0.14	4.792	खार	असिंचित	M	OBC
		407/2	0.045							
		407/3	0.142							
		407/4	0.154							
		407/5	0.040							
		408/1	1.575	0.203	0.50					
योग	**5**	**12**	**3.281**	**0.870**	**2.15**	**15.149**				

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़

सन्दर्भ:- कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 11805/भू अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/12/2016

विषय:- भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा के अन्तर्गत एवम् सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के तहत ग्राम जेरकेला तहसील तमनार जिला रायगढ़ के मूल्यांकन हेतु रिपोर्ट

उपरोक्त विषयांर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा कि उपस्थिति मे विशेषज्ञ समूह के दल के सदस्यों के साथ घरघोड़ा मे बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक पर सम्बंधित विषयपर सभी बिन्दुओं पर चर्चा हुयी। चर्चा के दौरान एवम संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि ग्राम जेरकेला का पुराने अधिनियम के तहत भू अर्जन सम्पन्न हो चुका है। किन्ही अज्ञात कारणों से प्रस्तावित भूमि का भू अर्जन हो नही पाया। प्रस्तावित निजी भूमि तिलाई वाली कोल माइन्स से लारा एन.टी.पी.सी तक रेल मार्ग द्वारा कोयला परिवहन के लिए रेलवे लाइन बनाने मे आ रही है। अतः प्रस्तावित निजी भूमि का भू अर्जन आवश्यक है। पुनः प्रस्तावित भूमि का रकबा 1.75 एकड़ है और प्रस्तावित ट्रैक की लम्बाई 2.20 k.m. है।

प्रस्तावित भूमि का भू अर्जन रेलवे ट्रैक की दोहरी लाइन के लिए किया गया है। जिसमे फारमेशन की चौड़ाई ढलान ट्रैक कि पानी निकासी के लिए नाली कि व्यवस्था को ध्यान पर रख कर किया गया है। साथ ही ट्रैक कि मरम्मत की आवाजाही के लिए उपयोग मे आने वाली जमीन को भी ध्यान मे रखा गया है।

अतः यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम जेरकेला तहसील तमनार जिला रायगढ़ कि प्रस्तावित भूमि रेलवे ट्रैक के मापदण्डों के आधार पर किया गया है। अनावश्यक भूमि अर्जित नही की जा रही है।

हरीलाल सेवानिवृत कार्यपालन अभियंता द. पू. म. रे
बिलासपुर
5/2/17

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का सामाजिक समाघात निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे।

नाम	हस्ताक्षर
1 — राधेश्याम [illegible]	28/1/17
2. — योगेश शर्मा	28/1/17
(3) Harlal	28/1/17 → 8109188088
(4) Dixit	→ 9425235366
(5) Sudhir V. Dandekar	28/1/2017 → 9826370111
(6) S. JAYAVardhan	28.1.17
(7) [illegible]	
(8) राधेश्याम [illegible]	
(9) C.M. Naik (GM.TL)	28-01-17
(10) N.M Swen, Sr. Mgr, Rem	28.01.17